कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1414 /11–सी–**FP/UP/Others/19868/2016**, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 06 ,2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सा0 वा0 वन प्रभाग,
बाराबंकी।

विषयः– जनपद–बाराबंकी में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित ग्राम–बनीकोडर, तहसील–रामसनेहीघाट, जनपद–बाराबंकी के गाटा सं0 288 तथा 305 में भिटरिया–हैदरगढ़ मार्ग पर किमी0 01–02 के मध्य दांई पटरी पर रिटेल आउटलेट के निमार्ण कार्य हेतु 0.0492616 अथवा 0.0493 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद के कार्यालय का पत्रांक–2168/14–10, दिनांक 02.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त आनलाईन एवं हार्ड कापी में निम्नलिखित कमियां पायी गयी हैः–

1. प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट संलग्न है किन्तु उस पर क्षेत्रफल 0.07219 हे0 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है।
2. प्रस्तावित वन भूमि का Geo Refferenced Digital map संलग्न है, किन्तु के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 संलग्न नही है।
3. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का Geo Refferenced Digital map संलग्न है किन्तु के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 संलग्न नहीं की गई है तथा आनलाइन पार्ट–2 कमांक 13 (iii) में अपलोड भी नहीं किया गया है।
4. ईको–क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु उस पर क्षेत्रफल 0.167175 हे0 अंकित किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है।
5. वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु मूल में संलग्न नहीं है तथा आनलाइन अपलोड भी नहीं है।
6. गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा चिन्हित व प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
7. आनलाईन पार्ट–2, कमांक 07, Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest में 10 किमी0 फीड है जो हार्ड कापी भाग 02 कमांक 7 (ix) के अनुसार नहीं है।
8. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त प्रस्ताव सं0 **FP/UP/Others/18677/2016**, भी आनलाइन अपलोड किया गया है जिसे आनलाइन withdraw किया जाये।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1414/11–सी– **FP/UP/Others/19868/2016**, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सरयू वृत्त, फैजाबाद।
2. डिवीजनल प्रबन्धक, एस्सार आयल लिमिटेड, 02/373 विशाल खण्ड, निकट–सी0मी0एस0, गोमती नगर, लखनऊ।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY- 875